425

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

===

निगरानी क्रमांक-   सन् 2012.

महेश दुबे तनय रामदयाल दुबे निवासी ग्राम
धौरी, तहसील व जिला-छतरपुर म०प्र० ——— निगरानीकर्ता

बनाम

R. 1417-II/12

1. गुलाबसिंह तनय बृजेन्द्रसिंह निवासी ग्राम
धौरी, तहसील व जिला-छतरपुर म०प्र०.

2. शासन म०प्र० ——— प्रत्यर्थीगण

श्री मुकेश भार्गव, अभि० द्वारा आज दि. 17-5-12 को प्रस्तुत
कद
17-5-12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०संहिता.

===

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, मण्डल महेबा, तहसील छतरपुर जिला-छतरपुर के प्रकरण क्र. 16/अ-70/10-11 में पारित आदेश दिनांक-20.4.12 से परिवेदित होकर.

===

मुकेश भार्गव
17-5-12 एडवोकेट
ग्वालियर

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि:- प्रत्यर्थी क्र. 1 गुलाबसिंह के द्वारा निगरानीकर्ता के विरुद्ध धारा-250 म०प्र०भू०राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नं. 157, 159 किता-2 कुल रकबा- 1.591 हेक्टेयर मौजा धौरी की भूमि प्रत्यार्थी की स्वत्व एवं आधिपत्य की पैत्रिक भूमि है, जिसमें वह खेती करता चला आ रहा है। प्रत्यर्थी को यह आशंका थी कि कथित भूमियों का अंश भाग निगरानीकर्ता द्वारा दबा लिया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1417-दो/2012 जिला छतरपुर महेश विरूद्ध गुलाब व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार मेहबा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 16/अ-70/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 20-04-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-05-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य